भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 381

दिनांक 21 जुलाई, 2026

आईसीएआर के अंतर्गत भूमि जोत

381. श्री परषोत्तमभाई रुपालाः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों के समन्वय से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक स्टेशन और संस्थान की भूमि जोत का नए सिरे से पुनः सर्वेक्षण और पुनः सत्यापन करने का है ताकि सीमाओं और भूमि अभिलेखों की पुनः पुष्टि की जा सके;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न स्थानों पर आईसीएआर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण की घटनाओं की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के समन्वय से ऐसे अतिक्रमणों की पहचान करने, उन्हें हटाने और रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या देशभर में आईसीएआर की भूमि की सुरक्षा के लिए एक मानकीकृत निगरानी तंत्र का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क) : जी, नहीं।

(ख) : जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के उन 16 संस्थानों की सूची **अनुबंध I** के रूप में संलग्न है जहां अतिक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं।

(ग) : अतिक्रमण की रोकथाम के लिए चारदीवारी का निर्माण किया गया है, सीसीटीवी लगा दिए गए हैं तथा सुरक्षा निगरानी के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं।

जहां अतिक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं वहां स्थानीय पुलिस और संबंधित राज्य सरकारों की सहायता/समर्थन से कानूनी कार्रवाई की गई है।

(घ) : भाकृअनुप संस्थानों में उचित भूमि प्रबंधन के लिए जून 2022 में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है (प्रतिलिपि **अनुबंध II** के रूप में संलग्न है)। समस्त भाकृअनुप संस्थानों में नोडल अधिकारियों की पहचान की गई है और ये अधिकारी स्थानीय राज्य सरकार के प्रशासन के साथ समन्वय से अतिक्रमण पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार है।

अनुबंध - I

{लोक सभा के दिनांक 21.07.2026 के अतारांकित प्रश्न सं. 381 का भाग (ख)}

भाकृअनुप के उन संस्थानों की सूची जहाँ अतिक्रमण के मामलों की सूचना दी गई है :

क्र. सं.	**संस्थानों का नाम**
01	भाकृअनुप-कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान ज़ोन-VI, गुवाहाटी, असम
02	भाकृअनुप-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, दिल्ली (कृषि विज्ञान केन्द्र-शिकोहपुर, अनुसंधान केंद्र-कटराईं और अनुसंधान केंद्र- पुणे)
03	भाकृअनुप-राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र, बीकानेर, राजस्थान
04	भाकृअनुप-कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद, तेलंगाना
05	भाकृअनुप-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, कोरापुट, ओडिशा
06	भाकृअनुप-केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, कैनिंग टाउन, पश्चिम बंगाल
07	भाकृअनुप-भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, मोदीपुरम, मेरठ, उत्तर प्रदेश
08	भाकृअनुप-केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर, राजस्थान
09	भाकृअनुप उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र अनुसंधान परिसर, उमियम (कृषि विज्ञान केन्द्र), मेघालय
10	भाकृअनुप-राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान, रांची, झारखंड
11	भाकृअनुप-केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर, महाराष्ट्र
12	भाकृअनुप-केंद्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल
13	भाकृअनुप-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान-असम केंद्र, गोमुख, असम
14	भाकृअनुप-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान-झारखंड केंद्र, हजारीबाग, झारखंड
15	भाकृअनुप-राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान (पूर्व केंद्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान), राजामुंदरी, आंध्र प्रदेश
16	भाकृअनुप-राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव प्रबंधन अनुसंधान संस्थान (पूर्व राष्ट्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन अनुसंधान केंद्र), नई दिल्ली

अनुबंध-II

{लोक सभा के दिनांक 21.07.2026 के अतारांकित प्रश्न सं. 381 का भाग (घ)}

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
कृषि भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली-110001
Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi -110001

फा.सं. जीएसी-12-6/2022-समन्वय दिनांक: 27 जून, 2022

सेवा में,

भाकृअनुप के समस्त संस्थानों/राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्रों/ परियोजना समन्वयकों/ समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं/एटीएआरआई/ब्यूरो आदि के निदेशक/ परियोजना निदेशक।

विषय: उचित भूमि प्रबंधन से संबंधित।

पिछले कुछ समय से यह देखने में आया है कि अपर्याप्त या अनुचित भूमि प्रबंधन के कारण और भूमि रिकॉर्डों की अनुपलब्धता/अद्यतन न होने की वजह से संस्थानों के अधीन आने वाली भूमि संबंधी मामले आए दिन या कभी-कभार सामने आते रहते हैं।

समस्त चरणों/यूनिटों के स्तर पर उचित और अद्यतन भूमि प्रबंधन/रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से किया जाने वाला कार्य है इसके लिए निम्नलिखित निर्देशों/एसओपी का सख्ती से अनुपालन किया जाए।

1. सभी संस्थानों के प्रशासनिक प्रमुख अपने संबंधित संस्थान के भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी होंगे।
2. नोडल अधिकारी संस्थान मुख्यालय तथा क्षेत्रीय स्टेशनों/केंद्रों आदि में समस्त भूमि रिकॉर्ड (भवन सहित) के रख-रखाव तथा प्रबंधन के लिए जिम्मेवार होंगे। वह यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त भूमि रिकार्ड उचित एवं अद्यतन हैं।
3. सभी भूमि रिकॉर्डों (भवन सहित) को डिजिटलाइज किया जाए और एल.आर.एम.एस. पोर्टल पर अपलोड किया जाए। भूमि रिकॉर्ड के डोजियर संबंधित एस.एम.डी. और निदेशक (वर्क्स), भाकृअनुप को रिकॉर्ड के प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराया जाए।
4. नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस पत्र के जारी होने की तिथि से दो माह की अवधि के अंदर सभी भूमि रिकॉर्डों को पूरी तरह से अद्यतन कर लिया जाए। इस मामले की अनुपालन रिपोर्ट प्रत्येक संस्थान द्वारा संबंधित एस.एम.डी. को प्रस्तुत की जाए तथा इसकी एक प्रति निदेशक (वर्क्स), भाकृअनुप को भी दी जाए।
5. नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संस्थान की संपूर्ण भूमि की लीज डीड/रजिस्ट्रेशन डीड (जहां लागू हो) विधिवत वैद्य, हस्ताक्षरित और संस्थान में उपलब्ध है। यदि किसी मामले में अभी तक लीज डीड हस्ताक्षरित नहीं है/ समाप्त हो गई है, इस प्रकार के मामले में, इस पत्र के जारी होने से दो माह की अवधि के अंदर इसके नवीनीकरण के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। इस मामले की अनुपालन रिपोर्ट प्रत्येक संस्थान द्वारा संबंधित एस.एम.डी. को प्रस्तुत की जाए तथा इसकी एक प्रति निदेशक (वर्क्स), भाकृअनुप को भी दी जाए।
6. नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संपूर्ण भूमि जो कि रिकॉर्ड पर है वह संस्थान के प्रत्यक्ष कब्जे में है और विधिवत रूप से सुरक्षित है।

7. नोडल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि सभी प्रकार के अतिक्रमण आदि के मामलों में स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय से तुरंत कार्रवाई की जाए। कानूनी मामलों के बारे में, विधि प्रकोष्ठ, भाकृअनुप मुख्यालय के साथ विचार-विमर्श करते हुए तत्काल कार्रवाई की जाए।
8. इस बारे में किसी भी तरह की समस्या/मार्गदर्शन के लिए निदेशक (वर्क्स), भाकृअनुप से संपर्क/ विचार-विमर्श किया जा सकता है।
9. सभी संभावित प्रयासों के बावजूद भी, यदि संस्थान को इस मामले के समाधान में समस्या हो रही है तो संबंधित एस.एम.डी. के माध्यम इसे जीएसी प्रभाग को अग्रेषित किया जाए और निदेशक (वर्क्स), भाकृअनुप द्वारा इस विषय को भाकृअनुप की ओर से संबंधित राज्य सरकार के समक्ष उठाया जाएगा।
10. भाकृअनुप के भूमि रिकॉर्डों के उचित प्रबंधन के लिए निदेशक (वर्क्स), भाकृअनुप नोडल अधिकारी होंगे और प्रभावकारी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भाकृअनुप संस्थानों को हर प्रकार की सहायता प्रदान करेंगे।

भाकृअनुप संस्थानों के सभी निदेशक/नोडल अधिकारी इस मामले पर उच्च प्राथमिकता से कार्रवाई करें।

ह०/-
(सुमित कुमार जिंदल)
उप-सचिव (जीएसी)

<u>वितरण:</u>

1. सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, भाकृअनुप के पीएसओ/सचिव, भाकृअनुप के पीपीएस/ अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के पीपीएस, डेयर/भाकअनुप।
2. समस्त उप-महानिदेशक, भाकृअनुप मुख्यालय।
3. निदेशक (जीएसी), भाकृअनुप।
4. निदेशक (प्रशा.), भाकृअनुप।
5. निदेशक (वर्क्स), भाकृअनुप।
6. डीकेएमए, भाकृअनुप को परिषद की वेबसाइट और ई-ऑफिस पर अपलोड करने हेतु।
